केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली
Central Board of Secondary Education, Delhi

Ficitious Roll No.

(परीक्षार्थी भरें To be filled in by the candidate)

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र के ऊपर लिखे कोड को दर्शाये गये बाक्स में ही लिखें
Candidate should write code no. as written on the top of the question paper in this box ➡ 4/2

अतिरिक्त उत्तर-पुस्तिका (ओं) की संख्या
No. of supplementary answer-book (s) used ➡ NIL

परीक्षा का नाम Name of the examination AISSE – 2014

कक्षा Class X

विषय Subject HINDI (COURSE-B) (SUBJECT CODE → 085)

परीक्षा का दिन एवं तिथि
Day & Date of the Examination WEDNESDAY, 05-03-2014.

उत्तर देने का माध्यम Medium of answering the paper HINDI

किसी शारीरिक अक्षमता से प्रभावित हो तो सम्बन्धित वर्ग में ✓ का निशान लगायें।

B	D	H	S	C

B=दृष्टिहीन, D=मूक एवं बधिर, H=शारीरिक रूप से विकलांग, S=स्पास्टिक, C=डिस्लेक्सिक
If Physically challenged, tick the category
B=Blind, D=Deaf & Dumb, H=Physically Handicapped, S=Spastic, C=Dyslexic

क्या लेखन – लिपिक उपलब्ध करवाया गया हां / नहीं
Whether writer provided : Yes / No

प्रमाणित किया जाता है मैंने/हमने इस उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन प्रश्न पत्र के संशोधित सेट के अनुसार और पूर्ण रूप से मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया है।
Certified that I/We have evaluated this answer-book according to the correct set of question paper and strictly as per the marking scheme.

प्रथम परीक्षक के हस्ताक्षर व संख्या
Signature & Number of First Examiner _____

द्वितीय परीक्षक के हस्ताक्षर व संख्या
Signature & Number of Second Examiner _____

जहाँ पर सामूहिक अंकन की व्यवस्था हो वहाँ सभी परीक्षकों के लिए हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
All the Examiners are required to sign where there is a provision of team marking

प्रथम समन्वयकर्ता के हस्ताक्षर व संख्या
Signature & Number of First Co-ordinator _____

द्वितीय समन्वयकर्ता के हस्ताक्षर व संख्या
Signature & Number of Second Co-ordinator _____

मुख्य परीक्षक के हस्ताक्षर व संख्या, यदि जाँच की हो
Signature & Number of Head Examiner, if checked _____

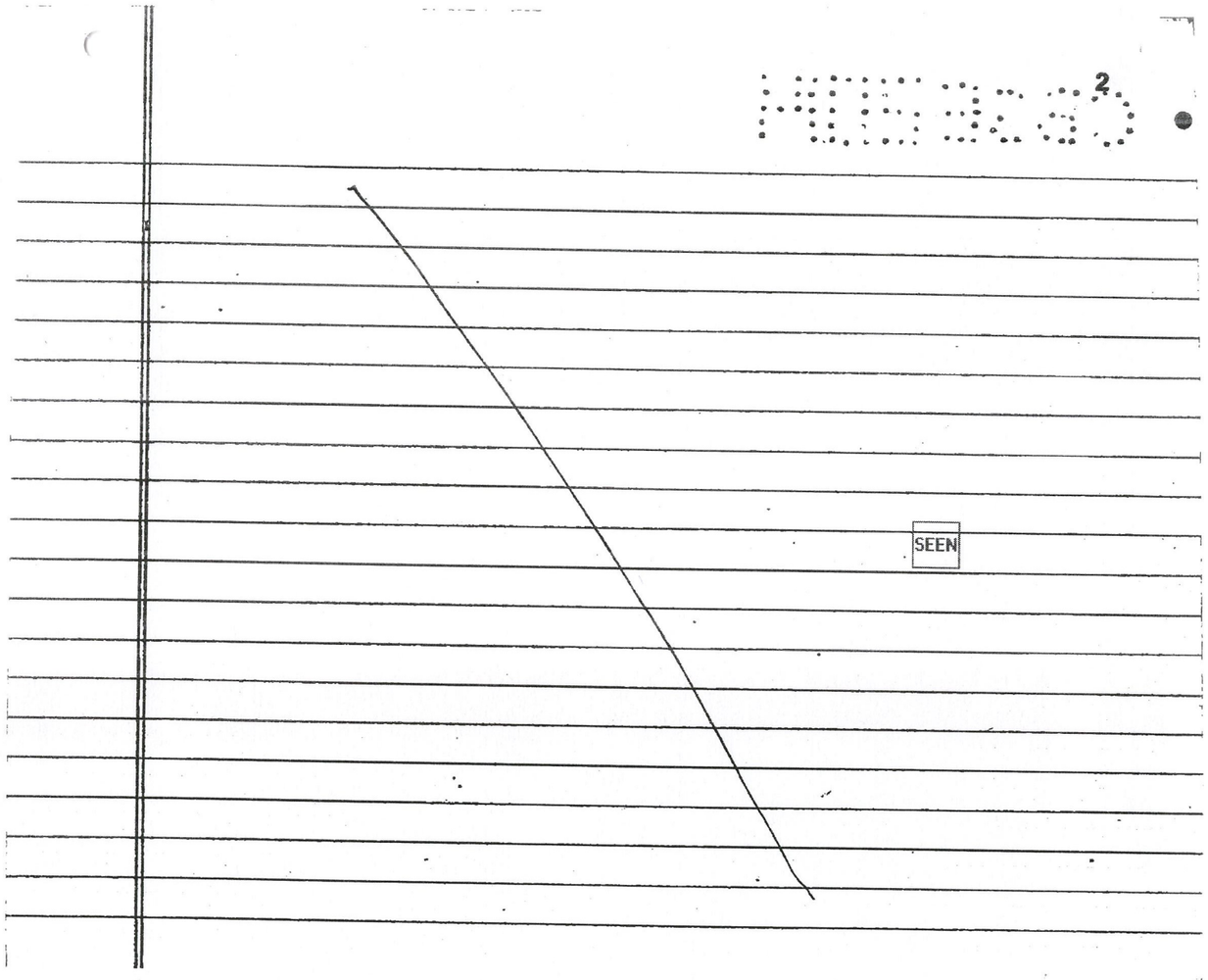
Q.No.	Marks	Q.No.	Marks
01			
02		22	
03		23	
04		24	
05		25	
06		26	
07		27	
08		28	
09		29	
10		30	
11		31	
12		32	
13		33	
14		34	
15		35	
16		36	
17		37	
18		38	
19		39	
20		40	
TOTAL (I)		TOTAL (II)	

\+

= Grand Total of (i) & (ii) in figures

Total of marks in words _____

CBSE


SEEN

खण्ड क

1. (i) (ब) मानवीय गुणों के विकास की ✓1
   (ii) (ब) मन की दृढ़ता ✓1
   (iii) (ग) कष्टों से जूझकर ✓1
   (iv) (ग) सबल अतिसबल बन जाता है ✓1
   (v) ~~(ब) मानव का विकास~~ (ग) मन और शरीर की दृढ़ता ✓1

2. (i) (ब) चरित्र-निर्माण करना ✓1
   (ii) (ग) प्रिया के रूप में ✓1
   (iii) (ब) गार्गी तथा अपाला ✓1
   (iv) (ग) मर्यादा की रक्षा के लिए ✓1
   (v) (ग) प्रत्यक्ष ✓1

3. (i) (ब) भुजाओं के बल से ✓1
   (ii) (ग) निरुद्यमी ✓1
   (iii) (ब) श्रद्धा और परिश्रम से ✓1

(ङ) दूसरों का हिस्सा दबाकर रखते हैं ✓1
(ञ) उद्यम और परिश्रम का महत्व बताना ✓1

4. (i)(क) छोटे-छोटे स्वार्थों के लिए ✓1
(ii)(ख) विघ्न-बाधाओं से ✓1
(iii)(ग) महिमावान् है ✓1
(iv)(ङ) सहायता के लिए विदेशियों के सामने हाथ नहीं फैलाएँगे ✓1
(v)(ख) गर्हित ✓1

खण्ड ख

5. (क) (i) तुमने एकाएक इतना मधुर गाना क्यों छोड़ दिया?
विशेषण उपवाक्य ✓1

(ii) गाँव में हर वर्ष पशु-पर्व का आयोजन होता है। ✓1
संज्ञा पदबंध

(ख) विश्वसंगठन → विश्व रूपी संगठन (कर्मधारय समास) ½

(ग) सुंदर है जो नयन → सुनयन → (कर्मधारय समास) 1

6. (क) (i) मैदान में हज़ारों आदमियों की भीड़ होने लगी।

भीड़ – संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्ता कारक, होने क्रिया की कर्ता 1

(ii) आंदोलनकारी शहर में प्रदर्शन कर रहे थे।

कर रहे थे – क्रिया, सकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन, 'कर' धातु, भूतकाल 1

(iii) वे धीरे-धीरे सभास्थल की ओर बढ़ रहे थे।

धीरे-धीरे – ~~अव्यय~~ अव्यय, क्रियाविशेषण, रीतिवाचक क्रियाविशेषण, बढ़ रहे थे क्रिया का विशेषण 1

(ख) ~~पुष्पोद्यान → पुष्प + उद्यान~~ पुष्पोद्यान → पुष्प + उद्यान ✓1

+ (क) (i) मिश्र वाक्य ✓1

(ii) (i) आज जब झंडा फहराया जाएगा तब प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ✓1

(ii) वे प्रतियोगिता में भाग लेने गए और बाहर रोक लिए गए। ✓1

(ख) धन + आगम → धनागम ✓1

8. (क) (i) हमारा लक्ष्य देश की चहुँमुखी प्रगति होनी चाहिए। ✓1

(ii) यहाँ केवल दो पुस्तकें रखी हैं। ✓1

(iii) उसने आज घर में क्या किया? ✓1

(ख) अत्यधिक → अति + अधिक ✓1

प्र. (i) हाथ फैलाना → अपने एकमात्र पुत्र की नौकरी लग जाने के लिए उसने देवी के सामने हाथ फैलाए। ✓1

(ii) राई का पर्वत करना → उसने खामखाँ छोटी-सी बात को लेकर राई का पर्वत कर दिया। ✓1

(iii) जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई → वह नेता खुद दो मंजिली मकान में रहता है, और अभी जनता के सामने बड़ी-बड़ी बातें करके सुविधाएँ दिलाने की बात कर रहा है। क्या वह सही में उनका नेतृत्व कर पाएगा? जाके पैर न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई! ✓1

(iv) हाथ कंगन को आरसी क्या? → मोहन जी इस इलाके के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। ऐसा न हुआ है कि उन्होंने किसी का (यहाँ) इलाज न किया हो। उनके बारे में किसी से भी पूछ लो, आखिर हाथ कंगन तो आरसी क्या? ✓1

PTO

खण्ड ग

10. (क) जापान के अस्सी फीसदी लोग मनोरुग्ण हैं। यह हाल केवल जापान का ही नहीं, बल्कि अन्य विकसित और विकासशील देशों का भी है, जिसका कारण है लोगों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा। यहाँ सभी अपने आप को एक-दूसरे से श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं। एक महीने का काम एक दिन में निपटाना चाहते हैं। इसके कारण उनके दिमाग का रफ़्तार बढ़ गया है और ऐसा लगता है मानो उनके दिमाग में स्पीड़ का इंजन लग गया है। जीवन की बढ़ती रफ़्तार के कारण लोग अपना मानसिक संतुलन भुलाते जा रहे हैं। इसके परिणाम-स्वरुप अधिकाधिक लोग मानसिक रोगों से ग्रस्त होते जा रहे हैं, जो आधुनिक युग की देन है।

(ख) ख्यूक्रिन अपनी कँगनी ऊपर उठाते हुए ज़ोर-जोर से चिल्ला रहा था और किकिया रहे कुत्ते को एक टाँग से पकड़ रखा था। पूछे जाने पर उसने कहा कि वह पेशे से सुनार था। उसका कार्य इसी कारण अत्यंत पेचीदा था। मिस्री मिस्त्रिच के काठगोदाम से लकड़ी लेकर उसे कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे कि अचानक उस कुत्ते ने अकारण ही उसकी कँगनी काट खाई। कँगनी के अक्षतयत होने की स्थिति में वह कई दिन तक काम नहीं कर पाता, जिसके कारण उसका भारी नुकसान होता। उस नुकसान की भरपाई के लिए

उसने कुत्ते के मालिक से हरजाने की माँग की। मुआवज़ा पाने के लिए अपनी दलील को और मज़बूत करते हुए कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि आदमखोर जानवर हमें काट खाएँ और हम उन्हें बरदाश्त करते रहें।

3

11. वज़ीर अली एक देशप्रेमी सैनिक था, जिसका लक्ष्य था अँग्रेज़ों को अपनी भारत-भूमि से समूल उखाड़ फेंकना। उसे अंग्रेजों से इतना नफ़रत था कि वह उनमें से किसी का कभी भी कत्ल कर सकता था। उन लोगों के रहन-सहन तथा रीति-रिवाज़ों के प्रति नफ़रत उसके दिल में कूट-कूटकर भरी थी। एक अँग्रेज़ का कत्ल कर देने के बाद वह जंगलों में अपने गिने-चुने कुछ साथियों के साथ रहने लगा। वहीं अंग्रेज़ सिपाही वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में डेरा डालते-डालते थक गए थे। ऐसी स्थिति में अंग्रेज़ कर्नल और लेफ्टीनेंट की आँखों में धूल झोंकते हुए वजीर अली ने छल से उससे दस कारतूस जिस तरह हासिल किए, वह कर्नल तथा लेफ्टीनेंट को चौंका देने वाला था। वज़ीर अली की ऐसी वीरता को देखकर कर्नल हक्का-बक्का रह गया और उसके मुख से अनायास ही वजीर अली के लिए प्रशंसा के शब्द फूट पड़े। वज़ीर अली ने सच में शत्रु के खेमे में घुसकर जिस प्रकार कारतूस लेकर चला गया, उससे उसकी जाँबाजी का परिचय कर्नल को मिल ही गया और वह उसकी वीरता के सामने नतमस्तक हो गया।

5

12. (अ) बलिदानी सैनिकों की परंपरा बनी रहे ✓1
(ब) बलिदानी सैनिकों के जत्थों को ✓1
(स) जीत की खुशियाँ ✓1
(ख) देश पर बलिदान की ओर ✓1
(ड) वीरों का समुदाय ✓1

13. (क) व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं क्योंकि वे लाभ-हानि का हिसाब लगाकर ही कदम उठाते हैं। वे जीवन में सफल होना चाहते हैं और अन्यों से आगे जाते रहना चाहते हैं। ✓2

(ख) आदर्शवादी लोग खुद ऊपर चढ़ते हैं और दूसरों को भी ऊपर ले चलते हैं समाज को। शाश्वत मूल्यों की पूँजी तो आदर्शवादी लोगों की ही देन है। ✓2

(ग) समाज को पतन की ओर व्यवहारवादी लोग ही गिराते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य लाभ का ही रहता है। ✓1

(प) भक्त गोपियाँ, जो श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं, उनकी बातों का रसास्वादन करना चाहती हैं। परन्तु वे कृष्ण से बातें कर ही नहीं पाते क्योंकि कृष्ण की मुरली सदैव उनके होठों से लगी रहती है। उनकी मुरली उनके मधुर अधरों से हटती ही नहीं। ईर्ष्यावश गोपियाँ श्री कृष्ण की मुरली छिपा देते हैं कि न रहेगा बाँस, न बजेगी बाँसुरी। कृष्ण अपनी मुरली को यथास्थान न पाकर गोपियों से प्रश्न करते हैं और गोपियाँ शपथ लेती हैं कि उन्होंने मुरली नहीं चुराई। परन्तु भौंहों के हँस देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हीं ने मुरली छिपाई है। इस प्रकार उन्हें श्री कृष्ण से बात करने का अवसर मिल जाता है और वे उनकी बातों का आनंद लेती हैं।

3

(ख) 'आत्मत्राण' कविता में कवि इस पंक्ति द्वारा कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर! आप मुझे वह शक्ति दें कि मैं दुख का तो सामना कर सकूँ, साथ ही साथ में सुख के समय में भी आपके सामने नतमस्तक होऊँ। अपने चारों ओर की प्रत्येक वस्तु में आपका आभास करूँ। सुख की प्राप्ति हेतु आपका आभार मानूँ। ऐसा कभी न हो कि सुख के समय में एक क्षण भी मैं आपको भुला दूँ। कवि ऐसा कहकर सुख और दुख, दोनों समय में ईश्वर को अपना साथी मानते हैं। वे अपने कष्टों का निवारण स्वयं करना चाहते हैं, और सुख के समय में ईश्वर को अपने मन में बसाकर रखना चाहते हैं।

3

(ग) 'मधुर-मधुर मेरे दीपक जल' कविता में कवयित्री ने अपने आत्म-दीप के समक्ष मोम की तरह घुलने की बात करती हैं। उनकी इस बात में अपने आराध्य देव की ओर समर्पण का भाव है। वे चाहती हैं कि ईश्वर को अपना सबकुछ समर्पित कर देते हुए वे अपने कोमल शरीर को मोम की तरह घुला दें। वे अपने शरीर के अणु-अणु को मोम की तरह गला देते हुए भी कोई अफ़सोस महसूस नहीं करना चाहती हैं। कवयित्री ने अपने दीपक से मोम की तरह घुलने को कहा ताकि वे अपना सबकुछ अपने आराध्य देव को समर्पित कर सकें।

15. (ख) एक बार टोपी ने मुन्नी बाबू को रहीम कबाबची की दुकान पर कबाब खाते हुए देख लिया था। इसका ज्ञान होने पर मुन्नी बाबू ने टोपी से यह बात किसी से/से न कहने को कही और उसे इक्कनी रिश्वत में दे दिया। फिर सभी मुन्नी बाबू को यह बात सताती रही कि कहीं टोपी उसका यह राज़/उजागर न कर दे, हालांकि दादी के सम्मुख सीधा-सादा होने के कारण टोपी ने किसी से यह बात नहीं कही थी। एक बार जब टोपी इफ़्फ़न से दोस्ती करने के कारण पिट रहा था, तभी मुन्नी बाबू ने उसी बात का इल्ज़ाम टोपी के सिर मढ़ दिया क्योंकि उसे पता था कि टोपी इस बात से और तो पिटेगा, साथ में उसकी सच्चाई पर किसी को विश्वास तक नहीं होगा।

(ग) 'सपनों के से दिन' पाठ में लेखक और उनके दोस्तों को स्कूल ऐसी जगह कभी नहीं लगी, जहाँ भाग के जाई जा सके। उन्हें तो स्कूल कैद की तरह प्रतीत होता था, तथा लेखक और उनके अधिकांश साथी चौथी कक्षा तक रोते-चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। इसके पीछे का प्रमुख भय शिक्षकों के मारपीट का ही रहता। परन्तु उन्हें स्कूल जाना तब अच्छा लगने लगता जब पीटी मास्टर प्रीतमचंद उन्हें स्काउटिंग का अभ्यास कराते। नीली-पीली पढ़ाई की जगह वे उन्हें हाथ में नीली-पीली झंडियाँ पकड़वा लेते और वन-टू-थ्री कहकर मार्च करवाया करते। अच्छी परेड होने पर वे अपनी आँखों को झपकाकर शाबाशी देते, जो बच्चों को कुछ कम चमत्कृत नहीं करता।

(घ) पाठ 'सपनों के से दिन' में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का वर्णन है जहाँ दंड देना शिक्षक को कतई अस्वीकार नहीं। वे विद्यार्थी को अनुशासित रखने के लिए कठोर से कठोर दंड अपनाना चाहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में दंड कानूनन जुर्म है। शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक बदलावों को अपनाया है, जैसे 'पास' और 'फेल' जैसे शब्दों को निलंबित करना, तथा दंड व्यवस्था को खारिज करना। यदि बच्चे को हर बात पर दंड दिया जाए, तो वह दब्बू और डरा-डरा सा रहने लगता है। शिक्षकों के भय से वह सही प्रकार से पढ़ नहीं पाता है और स्कूल उसे जेल प्रतीत होता है। वर्तमान शिक्षा

प्रणाली के सुदृढ़ बदलाव के बाद ऐसा लग रहा है। अब शिक्षकों को आभास होना चाहिए कि विद्यानुकूल परिवेश की सृष्टि तभी होती है, जब विद्यार्थी को शिक्षा प्राप्त करने, खेल-कूद करने तथा स्कूल के अंदर-बाहर हर प्रकार की आज़ादी हो। कार्य पूरा न होने पर शिक्षकों को बच्चों के साथ संवेदनात्मक व्यवहार करना चाहिए, न कि उसपे टीका-टिप्पणी करना, उसे ताने मारना तथा उसे दंड देना।

4

खण्ड घ

खण्ड - ख

17. सेवा में,
अध्यक्ष,
जल बोर्ड,
क ख ग नगर निगम,
कखग नगर।

दिनांक - ६-३-२०१५

विषय – दूषित जल की आपूर्ति के कारण जन - सामान्य को हो रही कठिनाई।

मान्यवर,
सविनय निवेदन है कि
पिछले कुछ दिनों से हमारे इलाके में दूषित जल की आपूर्ति के कारण हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूषित जल के कारण हम अपने दैनिक कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं तथा हमारे पड़ोस के कुछ बच्चे रोगग्रस्त भी हो गए हैं। टाईफॉइड और जॉन्डिस जैसे भयंकर रोगों के होने पर भी जब हमने अधिकारियों को इस बारे में पत्र लिखा, तब उनके कानों जूँ तक नहीं रेंगी।
आशा करती हूँ कि आप उचित कार्यानुष्ठान ग्रहण करते हुए हमें इस नर्क तुल्य जीवन से शीघ्र ही उद्धार करेंगे।
धन्यवाद।
भवदीया,

य र ल,
अ ब ज कॉलोनी,
क ख ग नगर।

16

18.

परोपकार

(ख) 'परोपकार' शब्द दो शब्दों के मेल से बना है — 'पर' और 'उपकार', जिसका अर्थ है, दूसरों का उपकार या दूसरों की सहायता। मनुष्य सामाजिक और विनश्वशील प्राणी है, जिसे सहानुभूति लेने तथा देने, दोनों की आवश्यकता होती है। दूसरों की सहायता को ही परोपकार कहते हैं, तथा ऐसा करने वाला मनुष्य सबसे श्रेष्ठ होता है क्योंकि परोपकार ही श्रेष्ठतम मानवीय गुण है। इस गुण के बिना मनुष्य पशु-तुल्य होता है। परोपकार करने से कोई हानि नहीं होती, वरन् लाभ अनेक होते हैं। इससे मानवीय सौहार्द्र का विकास होता है तथा उपकार करने, और उपकृत — दोनों के संबंध को और मज़बूत करता है। इससे न केवल उपकार पाने वाल व्यक्ति धन्य होता है, बल्कि उपकार करने वाले के हृदय में भी दया और इनसानियत की लहर दौड़ जाती है। परन्तु आज के कलयुग में परोपकार जितना आवश्यक है, उतना अनावश्यक भी। समाज में कई ऐसे लोग पाए जा सकते हैं जो उपकार-प्राप्ति की आड़ में रहते हुए अनचाहा फ़ायदा भी उठा लेते हैं। हमें परोपकारी तो रहना चाहिए, परन्तु ऐसे लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए और सही निर्णय लेते हुए कदम उठाना चाहिए। अंत में इस महान गुण के विषय में यही कहा जा सकता है कि — "परहित सरिस धर्म नहीं भाई।"

5

exceptionally good work,

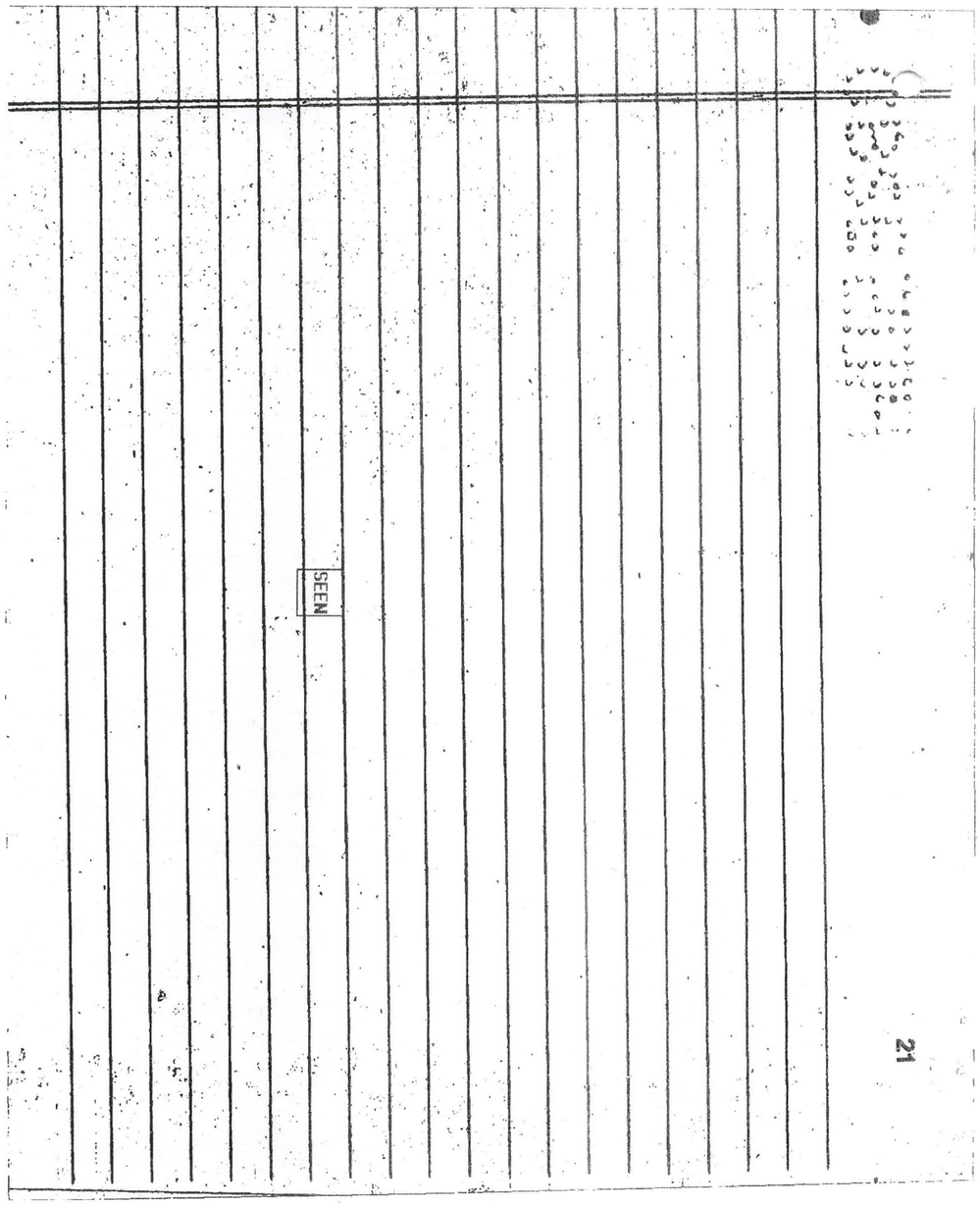
SEEN

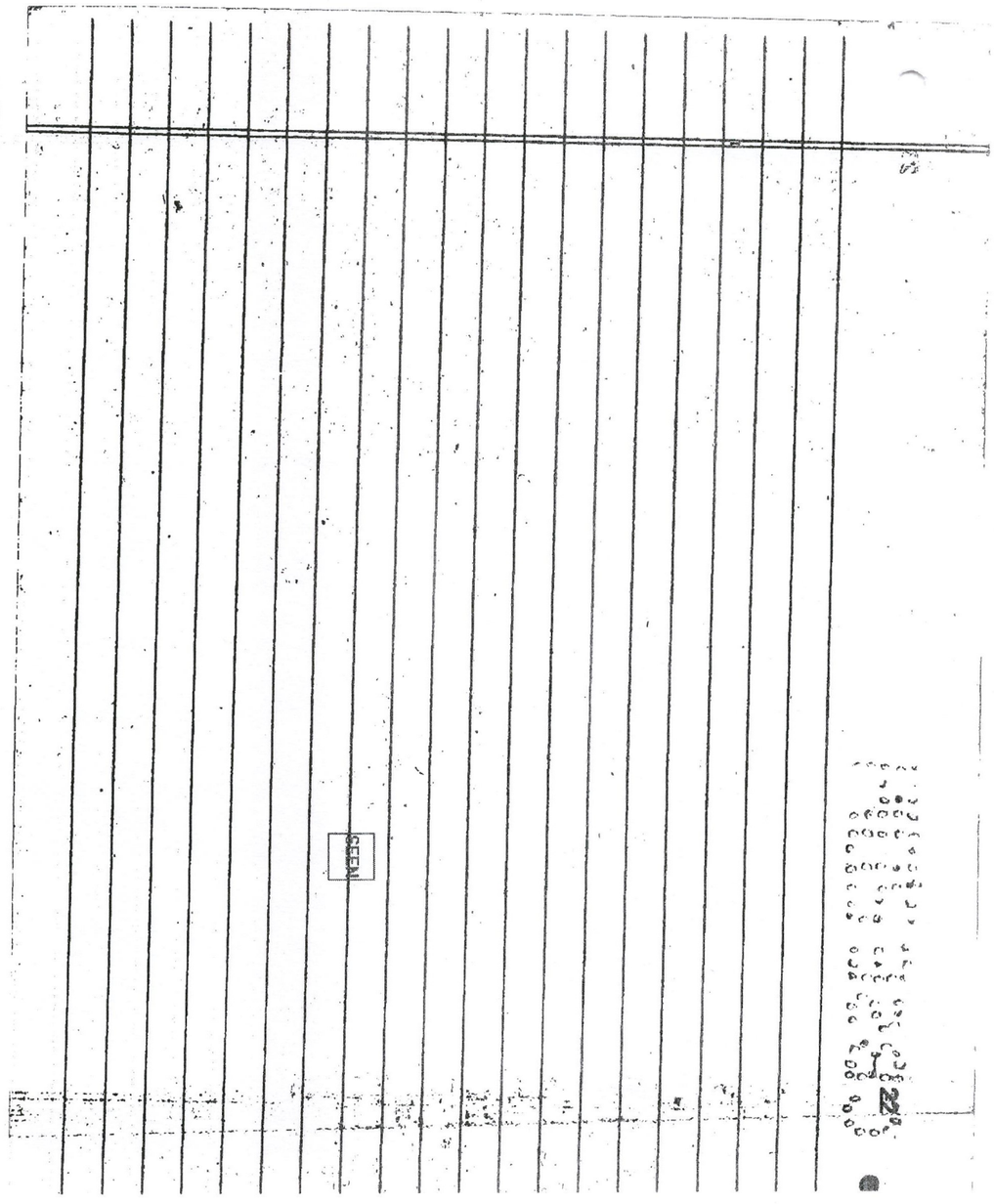
SEEN

19

SEEN

SEEN


SEEN


SEEN

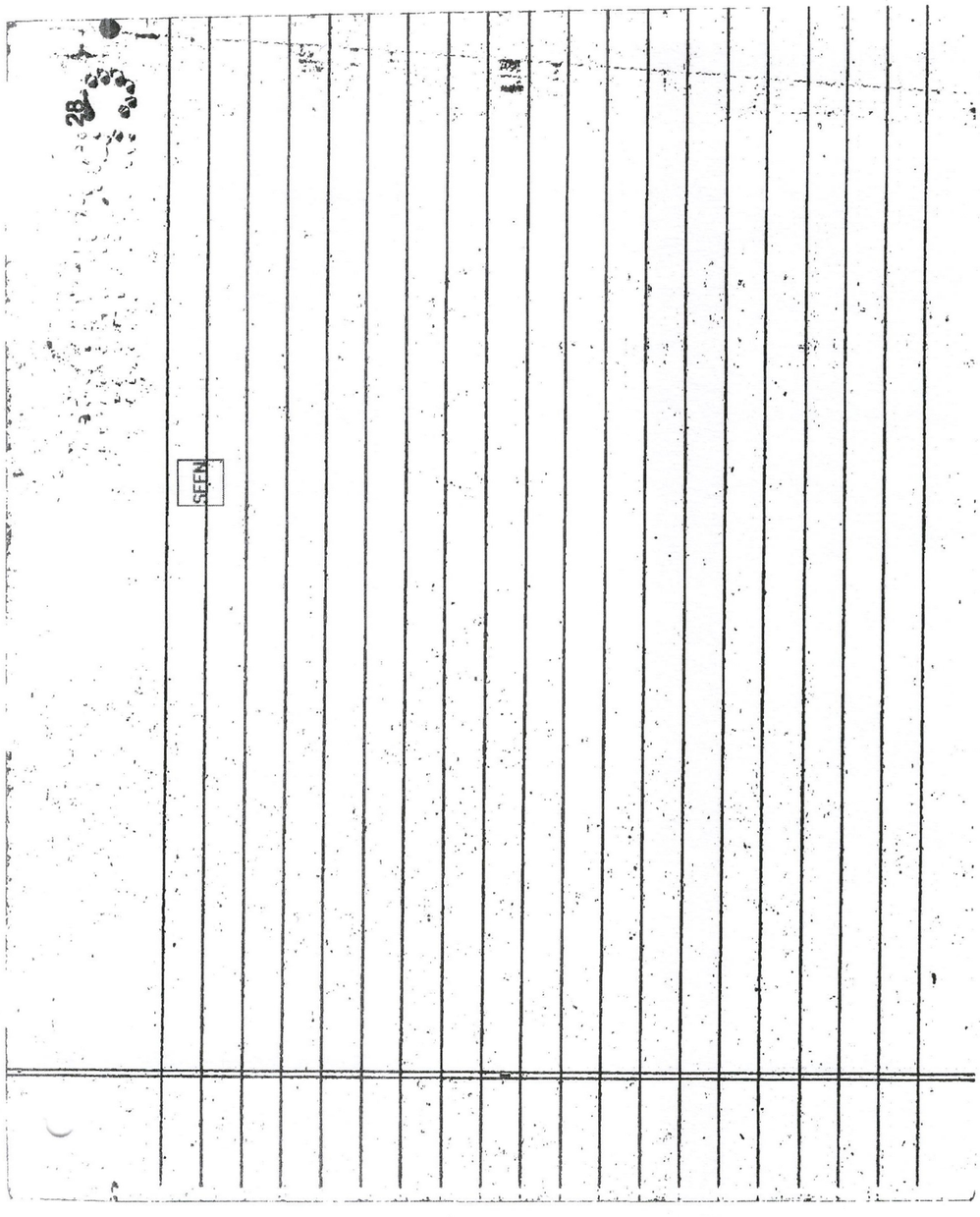
SEEN

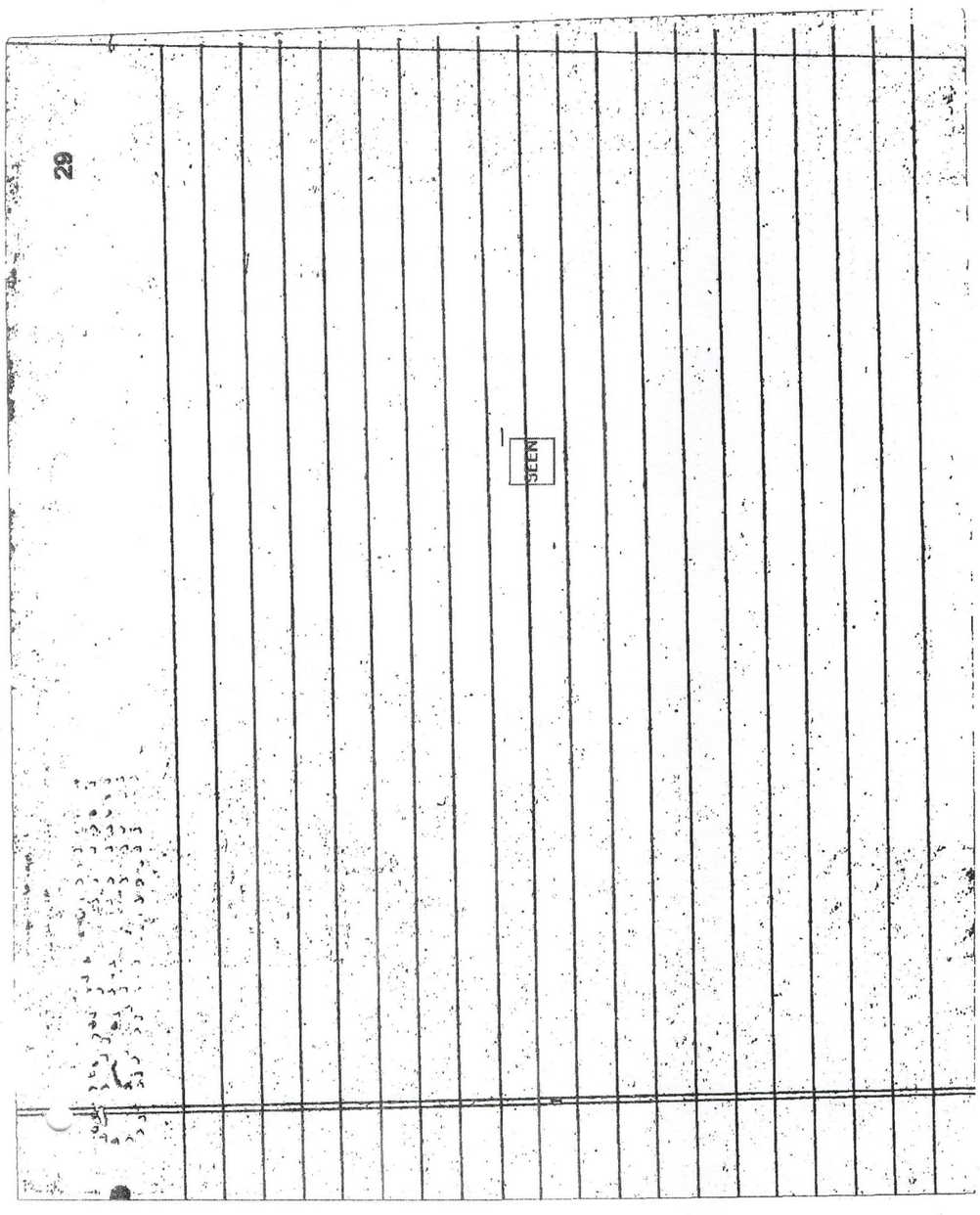
SEEN

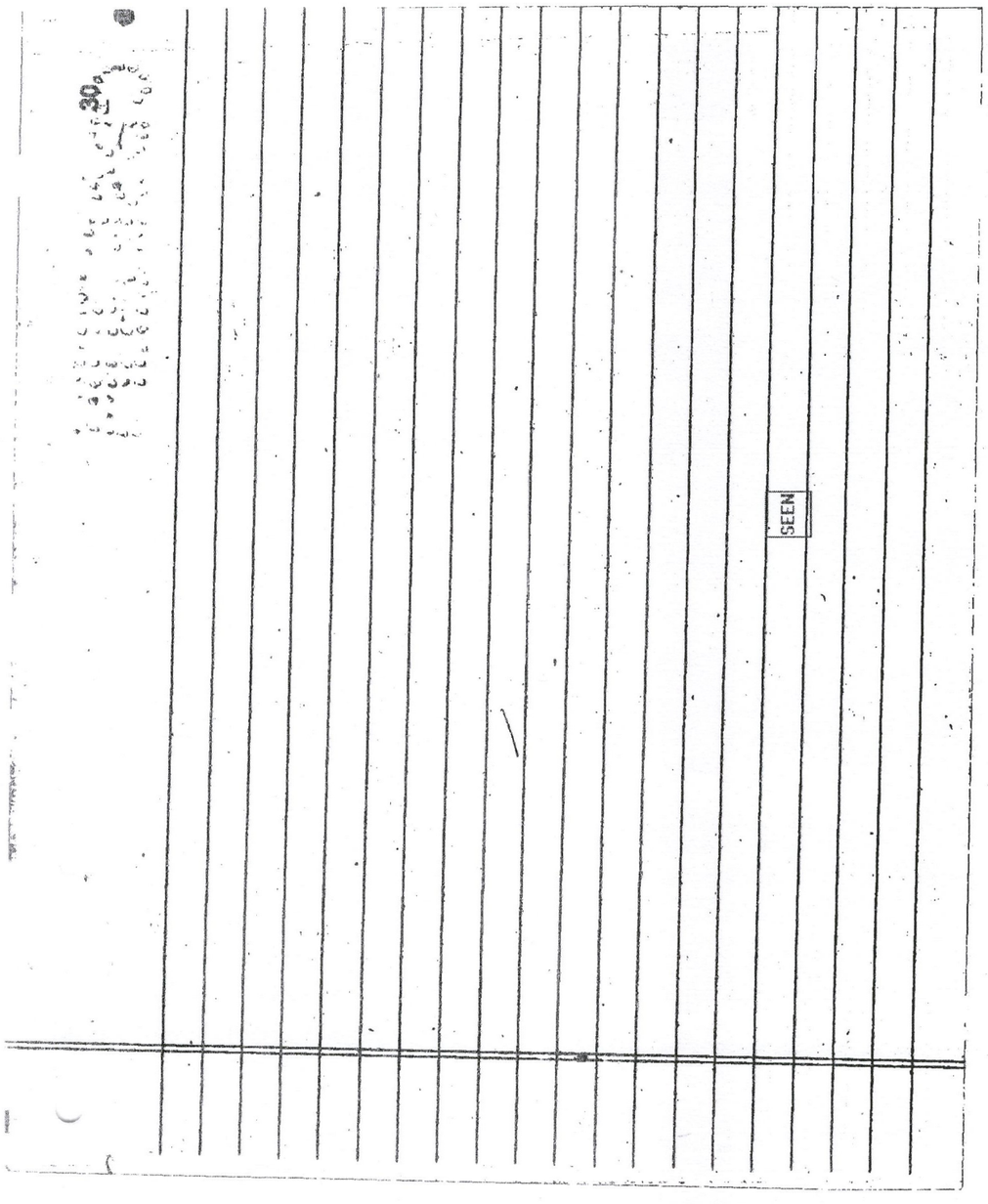
SEEN

SEEN

SEEN


28
SEEN


29
SEEN



SEEN

SEEN

207

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

1. उत्तर-पुस्तिका लेते ही सुनिश्चित कर कि इसमें कवर सहित 32 पृष्ठ हैं एवं सही क्रम में है।
2. उत्तर-पुस्तिका, पूरक उत्तर-पुस्तिका, ग्राफ पेपर, नक्शे आदि के अन्दर अथवा बाहर कोई विशेष चिन्ह अथवा निशान न लगाये।
3. अपना अनुक्रमांक, नाम, विद्यालय का नाम व परीक्षा का स्थान किसी उत्तर में न लिखें।
4. अतिरिक्त उत्तर-पुस्तिका की क्रम संख्या उपस्थिति शीट पर लिखें।
5. दोनों ओर तथा प्रत्येक लाइन पर लिखें तथा चौड़ा हाशिया छोड़कर पृष्ठों को नष्ट न करें।
6. उत्तर-पुस्तिका के पृष्ठों को मोड़े या फाड़े नहीं और बीच-बीच में व्यर्थ ही खाली न छोड़ें। पूरक उत्तर-पुस्तिका की मांग तब तक न की जाए जब तक यह उत्तर-पुस्तिका/पिछली उत्तर-पुस्तिका भर न जाए।
7. प्रश्न पत्र में दी हुई संख्या के अनुसार अपने उत्तरों की संख्या लिखें।
8. प्रश्न (अथवा प्रश्न के एक भाग) के समाप्त होने पर एक नीचे रेखा खींच दें।
9. यदि आपके द्वारा ग्राफ पेपर, नक्शा अथवा अतिरिक्त उत्तर-पुस्तिका काम में ली गई हो तो उसे अपनी उत्तर-पुस्तिका के साथ अच्छी प्रकार से नत्थी कर दें। परन्तु अपना अनुक्रमांक ग्राफ, नक्शे, अतिरिक्त उत्तर-पुस्तिका आदि पर न लिखें।
10. केवल नीली-काली अथवा गहरी नीली स्याही/जेल/बाल प्वाईंट पेन का प्रयोग करें अन्य किसी लेखन यंत्र/स्याही/पेंसिल का प्रयोग करना आपका अपना जोखिम एवं उत्तरदायित्व होगा।
11. रफ अथवा कच्चे काम आदि के लिए संबंधित पृष्ठ के बांयी ओर उचित हाशिया खींच लें, बाद में रफ काम को एक रेखा द्वारा काट दें।
12. सहायक अधीक्षक को उत्तर-पुस्तिका दिये बिना परीक्षा भवन न छोड़ें।
13. यदि परीक्षा के दौरान, कोई परीक्षार्थी निम्नलिखित में से किसी में भी शामिल पाया जाता है तो यह मान लिया जाएगा कि परीक्षार्थी ने परीक्षाओं में अनुचित साधनों को अपनाया है और उसका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। किन्तु उस पर अनुचित साधन (यू.एफ.एम.) अंकित कर दिया जाएगा :-
    (क) यदि उसके पास संबंधित पेपर की परीक्षा से सम्बद्ध कागज, पुस्तकें, नोट्स अथवा कोई अन्य सामग्री पायी गयी हो;
    (ख) यदि वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार की सहायता प्रदान कर रहा हो अथवा प्राप्त कर रहा हो या ऐसा करने का प्रयास कर रहा हो;
    (ग) यदि वह उत्तर लिखने के लिए केन्द्र अधीक्षक द्वारा दी गई उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की सामग्री में प्रश्न अथवा उत्तर लिख रहा हो;
    (घ) यदि वह उत्तर-पुस्तिका अथवा पूरक उत्तर पुस्तिका इत्यादि के पृष्ठ फाड़ रहा हो;
    (ङ) यदि वह परीक्षा केन्द्र में परीक्षा के दौरान परीक्षा स्टाफ के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से सम्पर्क करने अथवा पत्र व्यवहार कर रहा हो या ऐसा करने का प्रयास कर रहा हो;
    (च) परीक्षा कक्ष से उत्तर पुस्तिका बाहर ले जाने पर;
    (छ) परीक्षा संबंधी कोई अन्य अवांछनीय तरीकों अथवा साधनों का प्रयोग करने अथवा ऐसा करने का प्रयास करने पर;
    (ज) प्रश्न पत्र अथवा उसका कुछ भाग बाहर भेजने अथवा उत्तर-पुस्तिका/पूरक उत्तर-पुस्तिका शीट अथवा इसका कुछ भाग बाहर भेजने पर; और
    (झ) परीक्षाओं के आयोजन से सम्बद्ध किसी कर्मचारी अथवा किसी परीक्षार्थी को धमकी देने पर।

2014

Instructions to Candidates

1. Make sure that the answer-book contains 32 pages and are properly serialed in number (including title pages) as soon as you receive it.
2. DO NOT make any special sign or mark in or outside the answer-book, supplementary answer-book, graph-paper, map etc.
3. DO NOT write your roll no. name of your school or place of examination in any of your answers.
4. You must write the supplementary answer-book serial no. in the attendance sheet.
5. Write on each ruled line on both sides and do not waste pages by leaving a wider margin.
6. DO NOT tear out or fold the pages of the answer-book and do not leave any page blank unnecessarily. No supplementary answer-book(s) should be asked for unless this answer-book / the previous supplementary answer-book is finished.
7. Number your answers according to their numbers in the question paper.
8. Draw a line when a question (or a part thereof) is finished.
9. Securely tag your answer-book with supplementary answer-book(s), graph-paper, map etc. if used by you, but DO NOT write your Roll No. on the supplementary answer-book, graph-paper, map etc.
10. Use only blue-black or royal-blue ink/gel/ball point pen. Using of any other writing instrument/ink/pencil etc will be on your own risk and responsibility.
11. For rough calculation etc. appropriate margin on the right-hand side of the page my be drawn. The rough calculations etc. should be crossed out afterwards.
12. DO NOT leave the examination hall without handing over the answer-book to the Asstt. Supdt.
13. If during the course of examination, a candidate is found indulging in any of the following, he/she shall be deemed to have used unfair means at the examinations, and as such his/her result shall not be declared but shall be marked as UNFAIR MEANS (U.F.M) :-
    (a) having in possession papers, books, notes or any other material or information relevant to the examination in the paper concerned;
    (b) giving or receiving assistance directly or indirectly of any kind or attempting to do so;
    (c) writing questions or answers on any material other than the answer book given by the Centre Superintendent for writing answers;
    (d) tearing of any page of the answer-book or supplementary answer-book etc.
    (e) contacting or communicating or trying to do so with any person, other than the Examination Staff, during the examination time in the examination centre;
    (f) taking away the answer-book out of the examination hall/room;
    (g) using or attempting to use any other undesirable method or means in connection with the examination;
    (h) smuggling out Question Paper or its part or smuggling out answer-book/supplementary answer-sheet or part thereof; and
    (i) threatening any of the officials connected with the conduct of the examinations or threatening of any of the candidates.